न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
34 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	01.06.2022	08.12.2022

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1—श्री गणेश कुमावत पुत्र श्री मदन लाल कुमावत एफ.बी.ओ. मैसर्स शंकर जनरल एण्ड किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पीछे मेन मार्केट झिलाई तह. निवाई जिला टोंक निवासी बस स्टैण्ड के पीछे मेन मार्केट झिलाई तह. निवाई जिला टोंक राज.
2—श्रीमति शिमला देवी पत्नि श्री गोपाल लाल गुप्ता प्रोपरायटर मैसर्स गोविन्द इण्डस्ट्रीज एच—155 आईआईडी सेन्टर रीको इण्ड. एरिया निवाई राज. निवासी प्लॉट नं. 40 जैन कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज.

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार।
2—अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री अजय कुमार जोशी।

:—निर्णय—: **दिनांक 08.12.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.01.2022 को समय 01:11 पी.एम पर मैसर्स शंकर जनरल एण्ड किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पीछे मेन मार्केट झिलाई तह. निवाई जिला टोंक राज. पर पहुँचा। वहाँ पर श्री गणेश कुमावत पुत्र श्री मदन लाल कुमावत मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री गणेश कुमावत ने स्वंय को मैसर्स शंकर जनरल एण्ड किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पीछे मेन मार्केट झिलाई तह. निवाई जिला टोंक राज. का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **लाल मिर्च पावडर गोपाला ब्राण्ड (Red Chilli Powder Gopala Brand)** प्लास्टिक के कट्टे में 500—500 ग्राम के 11 नग पॉली पैक रखे हुये थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री गणेश कुमावत को फार्म नं. VA Form दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री गणेश कुमावत व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **लाल मिर्च पावडर गोपाला ब्राण्ड (Red Chilli Powder Gopala Brand)** जिसके बैच नं. 17 एम एवं पैकिंग की दिनांक 02 जनवरी 2022 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 500–500 ग्राम के 4 मूल पैक कुल 2 किलोग्राम खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **लाल मिर्च पावडर गोपाला ब्राण्ड (Red Chilli Powder Gopala Brand)** 500–500 ग्राम के 4 नग पॉली पैक में से एक–एक नग के नियमानुसार चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3028 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3028 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छ प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना श्रीमान खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर नमूना क्रय करते समय श्री गणेश कुमावत एफ.बी.ओ. मैसर्स शंकर जनरल एण्ड किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पीछे मेन मार्केट झिलाई तह. निवाई जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया। इस बाबत् आवेदक ने पत्र प्रेषित कर बतौर वारन्टी खरीद बिल चाहा जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स गोविन्द इण्डस्ट्रीज एच–155 आईआईडी सेन्टर रीको इण्ड. एरिया निवाई जिला टोंक का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/478 दिनांक 23.02.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल0 एस0/385/एक्ट/2022/399 दिनांक 11.02.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया **लाल मिर्च पावडर गोपाला ब्राण्ड (Red Chilli Powder Gopala Brand)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी गयी।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

वारन्टी व निर्माता होने के कारण आवेदक ने प्रबंधक मैसर्स गोविन्द इण्डस्ट्रीज एच–155 आईआईडी सेन्टर रीको इण्ड. एरिया निवाई जिला टोंक को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5 ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी द्वारा अपनी फर्म के दस्तावेज खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी रजि. व प्रोपरायटर के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री अजय कुमार जोशी उपस्थित हुए एवं बहस की तथा अपनी बहस में अप्रार्थीगणों की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **लाल मिर्च पावडर गोपाला ब्राण्ड (Red Chilli Powder Gopala Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **लाल मिर्च पावडर गोपाला ब्राण्ड (Red Chilli Powder Gopala Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 श्री गणेश कुमावत पर शास्ति रूपये 5,000/–(अक्षरे पांच हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 2 श्रीमति शिमला देवी पर शास्ति रूपये 10,000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 08.12.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक